TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, dated the 28-8-97

NOTIFICATION

(INCOME TAX)

S.O.No.................. In exercise of the powers conferred by sub-clause(v) of clause(23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies " Diocese of Calcutta, Church of North India, Calcutta " for the purpose of the said sub-clause for the assessment year 1998 -1999 subject to the following conditions, namely:-

(i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;

(ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above otherwise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section(5) of Section 11;

(iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

(H.K.CHOUDHARY)
Under Secretary to the Government of India.

(F.No. 197/101/97-I TAI-I)

Notification No. 10401

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक

अधिसूचना
(आयकर)

का०आ०सं० आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23-ग) के उपखण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "डायोसीज आफ कलकत्ता, चर्च आफ नार्थ इण्डिया, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त उपबंध के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(i) कर-निर्धारिती उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

(ii) कर-निर्धारिती ऊपर-उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा;

(iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों ।

(एच.के. चौधरी)
अवर सचिव, भारत सरकार

अधिसूचना सं० (फा०सं० 197/101/97-आयकर नि०-I)

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप), नई दिल्ली ।